निगरानी /कोलो/8373/ 2006/ बीकानेर
सरकार बनाम भंवरसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
10-7-25	**एकल–पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री सुनील पारीक, उप राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित **आदेश** 1. यह निगरानी अंतर्गत नियम 23(2) राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एंव विक्रय) नियम, 1975 न्यायालय अति0 आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–7–06 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2. निगरानी प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अप्रार्थी द्वारा भूमिहीन कृषक के रूप में इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एंव विक्रय नियम, 1975 के तहत आवेदन पत्र सहायक आयुक्त उपिनवेशन कोलायत के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसे सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत ने आदेश दिनांक 30–1–85 से खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध अप्रार्थी ने न्यायालय अति0 आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपीलीय न्यायालय अति0 आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर ने आलोच्य आदेश द्वारा अपील सशर्त स्वीकार कर ली। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने निगरानी पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कहा कि अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत/आवंटन अधिकारी ने बाद जांच सलाहकार समिति की राय दिनांक 28–1–85 से सहमत होते हुये दिनांक 30–1–85 को आवेदन खारिज किया। जिसकी सूचना नियमानुसार नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई थी। कानूनन आवेदन खारिज होने पर नियमानुसार खारिज शुदा सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने का प्रावधान है। जिसकी अपील 21 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत की गई। अपीलीय न्यायालय ने अपने न्यायिक अधिकार का गलत उपयोग करते हुये विचारण न्यायालय के समक्ष आदेश की तिथि से 3 माह की अवधि में राजस्थान का निवासी एव काश्तकार पेशा होना की साक्ष्य प्रस्तुत करने पर 3000/–रूपये राजकीय कोष में जमा करवाकर नया आवेदन प्राप्त करने एवं उसके पश्चात् नियमानुसार जांच करते हुये निर्णय पारित करने का त्रुटिपूर्ण आदेश दिया है। मियाद के बिन्दु पर अपीलीय न्यायालय ने कोई ठोस एवं स्पष्ट कारण अंकित नहीं किया तथा विलम्ब को बिना किसी आधार के क्षम्य किया हैं अपीलीय न्यायालय ने उपरोक्त समस्त तथ्यों को नजरअदांज करते हुये विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है, जिसे निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार की जावे। 4. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत् निगरानी वर्ष 2006 से लम्बित है तथा विचारार्थ ग्रहण भी नहीं की गई है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	5. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है अप्रार्थी द्वारा भूमिहीन कृषक के रूप में इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एंव विक्रय नियम, 1975 के तहत आवेदन पत्र सहायक आयुक्त उपिनवेशन कोलायत के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसे सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत ने आदेश दिनांक 30–1–85 से खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध अप्रार्थी ने न्यायालय अति0 आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपीलीय न्यायालय अति0 आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर ने आलोच्य आदेश द्वारा अपील सशर्त स्वीकार कर ली। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। न्यायालय अति0 आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने पर मियाद के सम्बंध में बिना कोई ठोस एवं स्पष्ट कारण अंकित किये विलम्ब को कंडोन किया गया है तथा अपील संक्षिप्त आदेश से सशर्त स्वीकार करते हुये यह अंकित किया है कि आदेश प्रसारण की तिथि से तीन माह में आवंटन अधिकारी के समक्ष राजस्थान के निवासी व पेशा काश्तकारी का साक्ष्य प्रस्तुत करे देवे तो आवंटन अधिकारी रूपये 3000/– की कोस्ट राजकोष में जमा करवाकर अपीलांट/वर्तमान अप्रार्थी से नया आवेदन प्राप्त करें, इसके पश्चात् फोटो फार्म की जांच करवाते हुये प्रकरण में नियमानुसार निर्णय पारित करें। अपीलीय न्यायालय ने मियाद कंडोन करने एवं अपील को सशर्त स्वीकार करने का कोई ठोस एवं स्पष्ट कारण अपने निर्णय में अंकित नहीं किया है। अप्रार्थी द्वारा भूमिहीन कृषक के रूप में इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एंव विक्रय नियम, 1975 के तहत आवेदन पत्र आवंटन अधिकारी द्वारा खारिज किये जाने के 21 वर्ष की लम्बी अवधि के बाद बिना कोई ठोस एवं संतोषजनक कारण अंकित किये अपील प्रस्तुत की थी, जो अपीलीय न्यायालय ने आलोच्य आदेश से स्वीकार करने में सारवान अनियमितता की है। सहायक आयुक्त उपनिवेशन/आवंटन अधिकारी कोलायत ने अप्रार्थी का आवंटन आवेदन पत्र खारिज करते हुये उसकी सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा की थी। जिसके विरूद्ध 21 वर्ष पश्चात् अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सशर्त स्वीकार करने में अपीलीय न्यायालय ने स्पष्ट त्रुटि कारित की है। अतः न्यायालय अति0 आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर का निर्णय दिनांक 26–7–06 विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने एवं निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है। 7. परिणामतः हस्तगत् निगरानी स्वीकार की जाकर न्यायालय अति0 आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर का निर्णय दिनांक 26–7–06 निरस्त किया जाता है। पत्रावली बाद फैसल शुमार तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। **(मदनलाल नेहरा)** **सदस्य**	